भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 712

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2022/22 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों को डीबीटी से जोड़ने की व्यवस्था

712. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्राथमिक ऋण समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैंकों से कुल कितने ग्राहक जुड़े हुए हैं तथा कुल कितनी धनराशि जमा है; और

(ग) प्राथमिक ऋण समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं शहरी सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष बैंक अंतरण से जोड़ने की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): नाबार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 30 सितम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 1,00,159 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) हैं। आज की तिथि के अनुसार, 352 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) हैं जो नाबार्ड के पर्यवेक्षणाधीन हैं। इसके अलावा, 30 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश में 1504 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) हैं। पीएसीएस, डीसीसीबी, एसटीसीबी और यूसीबी का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा इस उत्तर के क्रमशः अनुबंध I और II में प्रदान किया गया है।

(ख): 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, डीसीसीबी, एसटीसीबी और यूसीबी जैसे बैंकों में जमा खातों की संख्या और जमा राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

बैंक का प्रकार	बैंकों की संख्या	जमा खातों की संख्या	जमा राशि (राशि करोड़ रुपए में)
डीसीसीबी	35	12,80,06,21	4,13,692.1
एसटीसीबी	3	1,84,39,03	2,40,953.2
यूसीबी	150	7,84,67,51	5,20,712.5

स्रोतः एसटीसीबी और डीसीसीबी के संबंध में नाबार्ड और यूसीबी के संबंध में आरबीआई

(ग): डीसीसीबी, एसटीसीबी और यूसीबी पहले से ही नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक अंतरण में हिस्सा लेते हैं। तथापि, आरबीआई द्वारा जारी 17 जनवरी, 2017 (28 जुलाई, 2021 को अद्यतित) के भुगतान प्रणालियों से संबंधित अभिगम मानदंड संबंधी मास्टर निदेशों के अनुसार, सहकारी समितियां केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों [तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों सहित] अथवा विकेन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों [चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) केन्द्रों सहित] में प्रत्यक्ष सदस्य या उप-सदस्य नहीं हो सकते हैं।

****

दिनांक 13.12.2022 के उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 712 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध I				
सहकारी बैंकों और पीएसीएस की राज्य-वार संख्या				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पीएसीएस की संख्या	डीसीसीबी की संख्या	एसटीसीबी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	46	0	1
2	आंध्र प्रदेश	2,046	13	1
3	अरुणाचल प्रदेश	34	0	1
4	असम	810	0	1
5	बिहार	8,463	23	1
6	चंडीगढ़	0	0	1
7	छत्तीसगढ़	2,058	6	1
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	1
9	गोवा	62	0	1
10	गुजरात	7,700	18	1
11	हरियाणा	730	19	1
12	हिमाचल प्रदेश	2,178	2	1
13	जम्मू और कश्मीर	584	3	1
14	झारखंड	4,296	1	1
15	कर्नाटक	6,041	21	1
16	केरल	1,612	1	1
17	मध्य प्रदेश	4,536	38	1
18	महाराष्ट्र	21,068	31	1
19	मणिपुर	200	0	1
20	मेघालय	179	0	1
21	मिजोरम	159	0	1
22	नागालैंड	4,074	0	1
23	नई दिल्ली	0	0	1
24	ओडिशा	2,705	17	1
25	पुदुचेरी	53	0	1
26	पंजाब	3,963	20	1
27	राजस्थान	7,028	29	1
28	सिक्किम	178	0	1
29	तमिलनाडु	4,453	24	1
30	तेलंगाना	906	9	1
31	त्रिपुरा	268	0	1
32	उत्तर प्रदेश	7,879	50	1
33	उत्तराखंड	670	10	1
34	पश्चिम बंगाल	5,170	17	1
35	लद्दाख	10	0	0
कुल		**1,00,159**	**352**	**34**

स्रोतः आरबीआई और नाबार्ड

दिनांक 13.12.2022 के उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 712 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध II	
आरबीआई के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सूचित यूसीबी का ब्यौरा	
क्षेत्र कार्यालय (आरओ) का नाम	सूचित यूसीबी की संख्या
अहमदाबाद	214
बेंगलुरु	257
भोपाल	48
भुवनेश्वर	9
चंडीगढ़	11
चेन्नई	130
देहरादून	5
दिल्ली	14
गंगटोक	1
गुवाहाटी	16
हैदराबाद	97
जयपुर	35
जम्मू	4
कोलकाता	42
लखनऊ	60
मुंबई	229
नागपुर	246
पणजी	4
पटना	3
रायपुर	12
रांची	2
शिमला	5
तिरुवनंतपुरम	60
समग्र कुल	1504

स्रोतः आरबीआई